दिनांक 11 जुलाई 2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ और सुंदर भिलाई

आयुक्त सुंदरानी ने ली खटाल संचालकों की बैठक, खटाल हटाने के लिए 1 महीने का समय

नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के सभागार में खटाल संचालकों की बैठक आज आहूत की गई थी , जिसमें बड़ी संख्या में खटाल संचालक उपस्थित हुए! आयुक्त एसके सुंदरानी ने खटाल संचालकों से दो टूक शब्दों में कहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि खटाल संचालकों के द्वारा गोबर को नाली में बहा दिया जाता है, अनावश्यक रूप से खटाल के समीप गंदगी पसरी हुई रहती है , जिस पर खटाल संचालक ध्यान नहीं देते, इस मौसम में खासकर मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने की आशंका है जो प्राय: गंदगी व पशुओं के इर्द-गिर्द रहते हैं, गंदगी के कारण अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता है , पशुओं को खुला छोड़ देने से यातायात भी प्रभावित होता है एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, आसपास के रहवासी भी परेशान होते हैं इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है! श्री सुंदरानी ने आगे कहा संचालित वैध खटालो में बायोगैस कंपोस्ट अपनाएं जिससे खटालो से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ आदि को उपयोग मे लाकर इससे उत्तम खाद एवं गैस तैयार कर विक्रय करते हुए आमदनी प्राप्त कर सकते हैं , जिसके लिए क्रेडा विभाग से आए हुए अशोक अग्निहोत्री एवं रविंद्र देवांगन ने संचालकों को जानकारी देते हुए बताया की आवेदन करने के अधिकतम एक माह के भीतर बायो कंपोस्ट सब्सिडी के साथ प्रदाय किया जा सकता है , इससे घर की साफ-सफाई भी बनी रहेगी एवं बेहतरीन कंपोस्ट भी प्राप्त होगा एवं बायोगैस का भी उपयोग किया जा सकता है!आयुक्त महोदय ने कहा कि अभी तक हमने किसी भी खटाल संचालकों को लाइसेंस जारी नहीं किया है , खटाल के कारण किसी को परेशानी न हो ऐसी व्यवस्था करें एवं उन खटाल संचालकों जिन्होंने बेजा कब्जा कर रखा है चाहे वह नजूल की भूमि हो, बीएसपी प्रबंधन की भूमि हो या निगम की भूमि हो साथ ही ऐसे खटाल संचालक जो स्कूल के समीप, हॉस्पिटल के समीप एवं घनी बस्ती में खटाल संचालित कर रहे हैं इनको हटाने कहा परंतु खटाल संचालकों की समय के मांग पर ऐसे लोगों को 1 महीने का समय प्रदाय किया जा रहा है , तय समय में हटाना ही होगा अन्यथा सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस से लेकर न्यायालयीन प्रकरण भी दायर किया जाएगा! महापौर परिषद के सदस्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने खटाल संचालकों से कहा गंदगी बीमारियों को न्योता देती है , बार-बार खटाल को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं , गोबर से नालियां जाम होने की स्थिति उत्पन्न होती है, यह जनहित के लिए हानिकारक साबित हो सकता है इसलिए समय अवधि में हटा ले! खटाल संचालकों के स्थल की बात पर उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदी ने कहा गोकुल नगर को चयन किया गया था परंतु स्थल का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इस पर कुछ कह पाना उचित नहीं है , दिए गए समय अवधि अंतराल खत्म होने के उपरांत कार्यवाही तो की जावेगी, जुर्माना भी नियमानुसार वसूल किया जाएगा पहले भी किया गया है गंदगी का आलम और अन्य कारणों को देखते हुए अवैध खटाल को हटाना तय है, इसलिए अभी से अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले! पूर्व में भी निगम प्रशासन द्वारा कई दफा खटाल संचालकों को नोटिस जारी कर सूचना दी जा चुकी है! आयुक्त महोदय ने अंतिम में खटाल संचालकों को कहा जनहित में ध्यान रखते हुए

समझदारी पूर्वक काम करें, बातचीत से हल निकले इसलिए बैठक आयोजित की गई है, निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही का फैसला लेने से पहले सभी संचालकों को उनकी मांग पर समय दिया जा रहा है निर्धारित समयावधि में हटाना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है अन्यथा सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी! बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए खटाल संचालक, स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू, उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं टीपी लहरें , प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा , सहायक प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, समस्त जोन आयुक्त, समस्त स्वच्छता निरीक्षक, जोन क्षेत्र के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे!

जल है तो कल है

जल ही जीवन है!